वन्य-जीवों के शिकार-चोरों और अवैध व्यापारियों का पकड़ा जाना

2251. **श्री रामसिंह राठवा :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वन्य जीवों के शिकार-चोरों और अवैध व्यापारियों को पकड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में गत तीन वर्षों का, राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अवैध-कार्य को रोकने के के लिये सरकार द्वारा क्या कार्रवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन संराज्य के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) सरकार द्वारा वन्यजीवों के चोरी-छिपे शिकार तथा तस्करी की अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए की गई कार्रवाई में निम्नलिखित शामिल हैं :

1. अनुसूचित वन्यजीव जन्तुओं के शिकार पर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया है।

2. चोरी-छिपे शिकार-रोधी तंत्र-संरचना के सुदृढ़ीकरण के लिये राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को केन्द्रीय सहायता दी जाती है ।

3. बाघों, हाथियों और गैंडों तथा उनके वास-स्थलों की सुरक्षा संबंधी विशेष स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं ।

4. जब भी वन्यजीव प्राधिकारियों को वन्यजीव जन्तुओं के अवैध व्यापार की सूचना मिलती है, वे छापे मारते हैं ।

5. चोरी छिपे शिकार करने वालों और अवैध व्यापारियों को पकड़ने में पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, तटरक्षक और सेना का सहयोग भी लिया जाता है ।

6. जीव-जन्तुओं की संकटापन्न प्रजातियों और उनसे निर्मित वस्तुओं का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, वन्य प्राणिजात और वनस्पतिजात के संकटापन्न प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेंशन के उपबंधों के अन्तर्गत विनियमित किया जाता है ।

7. वन्यजीव उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिये देश के मुख्य-मुख्य निर्यात केन्द्रों पर वन्यजीव परिरक्षण के क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाते हैं ।

8. सूचना देने वालों को पुरस्कार देने की एक स्कीम है जिससे अन्य बातों के साथ-साथ वन्यजीव उत्पादों की तस्करी संबंधी गुप्त सूचना प्राप्त करने में मदद मिलती है ।

औद्योगिक इकाइयों द्वारा वन भूमि का उपयोग

2252. **श्री राम जेठमलानी :**
श्री वीरेन जे० शाह :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने औद्योगिक इकाइयों को वन भूमि में अनधिकार करने और बाद में उस सम्पदा का अपने औद्योगिक उद्देश्य के लिए उपयोग करने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने उक्त निर्णय लेने से पूर्व वनों की कटाई के कारण होने वाले वन-विनाश को रोकने संबंधी कोई महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं ; और